न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)/त्वरित न्यायालय–1

गाजियाबाद।

परिवाद सं०–4370/2022

श्रीमति पूजा बनाम राहुल आदि।

धारा–12 घरेलू हिंसा अधिनियम।

थाना–साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद।

दिनांक 20.03.2026

पत्रावली पेश हुई। परिवादिनी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। परिवादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसका विपक्षीगण से आपसी समझौता हो गया है और पक्षकारान के द्वारा विवाह विच्छेद याचिका अं०धारा–13 बी हिन्दू विवाह अधिनियम का वाद योजित कर दिया गया है। अब परिवादिनी उपरोक्त परिवाद को चलाना नहीं चाहती है तथा वापस लेना चाहती है। अतः परिवाद वापस किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादिनी का विपक्षीगण से समझौता हो गया है तथा परिवादिनी उक्त वाद पर बल देना नहीं चाहती है। अतःमामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में परिवाद वापस किया जाता है। तदनुसार प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

(आदर्श कुमार सिंह)

सिविल जज(जू०डि०),त्वरित न्यायालय–1

गाजियाबाद।

J.O. Code UP3743